# कार्यालय प्रभगीय वनाधिकारी गोंण्डा वन प्रभाग,गोंण्डा।

पत्रांक 1530 /33–1, दिनांक, गोण्डा, दिसम्बर 15 /2022

सेवा में,

उप महा प्रबन्धक (रिटेल),
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,
गोरखपुर–देवरिया रोड बैतालपुर देवरिया।

**विषयः–** जनपद गोण्डा के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बहराईच–अयोध्या–आजमगढ़ मार्ग (एस0एच0 30) के किमी0–57 के मध्य दायीं पटरी पर ग्राम मुण्डेरवा कला तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन मार्ग में प्रभावित 0.210889 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भः–** भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या 8बी0/यू0पी0/06/244/2022/एफ0सी0/750 दिनांक 09.12..2022 पर पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1982/11सी दिनांक 12.12.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति पत्र आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करें जिसके अनुसार शर्त संख्या 2, 3 एंव 4, 5 पर गोण्डा वन प्रभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित धनराशि जमा करने बावत वांछित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर संदर्भित आदेश के प्रत्येक बिन्दु का अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर हार्ड कॉपी सम्बन्धित अभिलेखों सहित पॉच प्रतियो में इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

| क्र0सं0 | शर्त संख्या व विवरण | धनराशि रूपये |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **क्षतिपूरक वनीकरण शर्त संख्या 2 एंव 3**<br>प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 422 पौधों का रोपण एंव 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित 0.43 हे0 आरक्षित वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि लिया जायेगा | 5,04,282.00 |
| 2 | **एन0पी0वी0 धनराशि शर्त संख्या 4 एंव 5**<br>शर्त संख्या 4 एव 5 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0 संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत संशोधित भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली के पत्रांक 5–3/2011–एफ0सी0(बी0ओ0एल0–1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगीं।<br>शासनादेश के अनुसार खुले वन के लिए ईको–क्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 9,57,780 लाख प्रति हेक्टेयर हेतु अर्थात (0.210889X 9.57780=2,01,985.00) से आंकलित | 2,01,985.00 |
| **योग** | **सात लाख छः हजार दो सौ सडसठ रू0 मात्र** | 7,06,267.00 |

उपरोक्त धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एंव अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जाएगी। कृपया उक्त जमा धनराशि का उक्त खाते में भुगतान करें एंव पावती की मूल रशीद (जमा की गयी धनराशि ई–पोर्टल की रशीद) अनुपालन आख्या के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रत्येक बिन्दु की अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर पॉच प्रतियों में प्रस्तुत करें।

**भवदीय,**

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या 1530 अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0 लखनऊ।
3– वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0 गोण्डा।

राजन पाण्डेय
9670137777 o/c

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।